कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल। 1433 / 14-1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 25 1

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

Online Proposal No. FP/UP/Road/144793/2021

विषय :-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सपेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 है0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4216 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनं मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यू०पी०/06/295/2021/एफ०सी०/643 दिनांक 17.01.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या 2142/11-सी- दिनांक 18.01.2022 |

महोदय

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यू०पी०/06/295/2021/एफ०सी०/643 दिनांक 17.01.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या 2142/11-सी- दिनांक 18.01.2022 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सपेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.680 है0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 है० आरक्षित वनभूमि तथा 6.4216 है० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रमावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 है0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों / पौधों के पातन की. अनुमित के सम्बन्ध में मांगी गई बिन्दुवार

S. No.	Observations	
1-	As Per Part II area of PF is coming as 30.6453 ha while as per details provided in the proposal it is 30.8224	Compliance उक्त बिन्दु पर इस प्रभाग की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2-	Tree felling in Amroha and Pratapgarh district is mismatching with details of Part II uploaded and the details provided in proposal.	उक्त बिन्दु पर इस प्रभाग की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3-	An abstract of tree felling in all the districts needs to be provided.	उक्त परियोजना में बाधक 4023 वृक्षों/पौघों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है। जिसका सारांश पुनः संलग्न है।(संलग्नक:–1)
4-	No objection certificate of concerned department (Irrigation and Railways) needs to be submitted.	उक्त बिन्दु पर सूचना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी जानी है।
	Revised NPV calculation as per order dated 06.01.2022 needs to be submitted.	एन०पी०वी की गणना दि० ०६.०1.२०२२ के अनुसार कर पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। एन०पी०वी० गणना पुनः संलग्न की जा रही है।(संलग्नक:—2)
6-		उक्त बिन्दु की सूचना इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।

	Post part-ii of the proposal under Social Forestry Division Allahabad and Social Forestry Division Bulandshahr. It is mentioned at column no. 10 "Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project: NIL"
.8-	C A scheme and site suitability certificate for CA in उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
9-	Why R F cannot be avoided, proper justification उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
10-	As per the kml file the proposed area for diversion is 50.29 ha,, but as per the proposal diversion area is 121.4716 ha,, mismatching of the forest area, needs clarification/rectification.
11-	kml file of the complete route proposed for diversion (Forest area as well as Non Forest area) needs to be submitted.
12-	kml file of altornate and
13-	The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 94.78 ha,, which is less than the actual required C A land area.
14-	As per the Geo-reference map of the proposed CA land, GPS "point id" is not mentioned in the Haripur village and Purthiyawan village. This needs rectification.
15-	As per the kml file, some CA land polygons have been found in scattered from and also not contiguous to the forest area. There are 44 patches proposed for CA which are of area less than 1 ha patches need to be in consolidated from.
10-	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA उक्त बिन्दु पर कार्यवाही इस प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
17- (The proposed CA land patch of Unnao district Village-Katholi) is partially overlapped with the area roposed for diversion, this needs rectification.
c c p	omponent wise breakup of land required for postruction of bridges, underpass, public utility entre, toll plaza, Covers over Rivers/Canals/Nalas, plia, Flyover & Interchanges etc. Needs to be ovided. सार अनुपालन रिपोर्ट मय संलग्न अभिलेखों संहित आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जर नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनुपालन रिपोर्ट मय संलग्न अभिलेखों संहित आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है, कि कृपया अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

> (अरविन्व कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र०,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अरविन्द कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।